न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/30/2025	2025/238	23.04.2025	21.08.2025

—उनवान—

1. सरकार जरिये बीज निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा), अलवर कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री धनीराम आयु 38 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 95, लक्ष्मी नगर, अलवर तह० अलवर व जिला अलवर।
2. मैसर्स श्रीराम बॉयोसीड़ जेनेटिक्स प्रा० लि० प्लाट नं0 47—48 करनी विहार नियर ताज जयपुर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(1) सहपठित बीज नियंत्रण आदेश 1983

उपस्थितः—
01.श्री संदीप कुमार शर्मा —विभागीय प्रतिनिधि
02.श्री रूद्रकिशोर सैनी, लाखन सिंह नरूका —वकील अप्रार्थीगण

निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1983 के तहत 38 बैग बीटी कपास के बीज की सजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 14.04.2025 को मैसर्स मेवात कृषि केन्द्र, 124 नेमीचन्द मार्केट, अलवर प्रो० श्री विजय कुमार पुत्र श्री धनीराम आयु 38 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 95, लक्ष्मी नगर, अलवर तह० अलवर व जिला अलवर के गोदाम का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान विना विकय अनुमति के कम्पनी मैसर्स श्रीराम बॉयोसीड़ जेनेटिक्स प्रा० लि० प्लाट नं0 47—48 करनी विहार नियर ताज जयपुर राजस्थान (08) 302013 का बीटी कपास का बीज पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

S.No.	Desc. of Goods/Services	Lot	QTY	Unit
1.	BT2.BIOSEED 888+PACKED 475 GMS	KSWWR3208X	384.75 KG	27 Bag
2.	BT2.BIOSEED 888+PACKED 475 GMS	KSWWR3209X	128.25 KG	9 Bag
3.	BT2.BIOSEED 105+PACKED 475 GMS	KKDWR3004X	28.5 kg	2 Bag

मैसर्स मेवात कृषि केन्द्र, 124 नेमीचन्द मार्केट, अलवर द्वारा बिना विक्रय अनुमति के बीज का बेचान किया जा रहा था जो बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 13 (ए) (सी) (डी)

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

के उल्लंघन के कारण उक्त बी०टी० कपॉस के बीज की दिनांक 14.04.2025 को जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त जब्त बी०टी० कपॉस के तीनों लॉट के नमूने आहरण कर प्रयोगशाला को भिजवाये गये है।

अतः प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियग की धारा 6—ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा बीटी कपास बीज को राजसात करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 14.04.2025 को अप्रार्थी सं 1 मैसर्स मेवात कृषि केंद्र नेमीचंद मार्केट अलवर पर आकर प्रार्थी द्वारा निरीक्षण किया गया और जहां कंपनी अप्रार्थी सं 2 मैसर्स श्रीराम बायोसीड जेनेटिक्स प्रा० लि० प्लॉट नं 47—48 करनी विहार नियर ताज जयपुर राज० के द्वारा भेजा गया।

अप्रार्थी सं 1 मेवात कृषि केंद्र के द्वारा निरीक्षण में जप्तशुदा माल का कोई विक्रय नहीं किया गया और ना ही किया जा रहा था। जिस बाबत प्रार्थी के द्वारा जारी नोटिस कमांक 42—43 दिनांक 14.04.2025 व दूसरा नोटिस 285—88 दिनांक 15.04.2025 के जवाब में अप्रार्थी सं 1 द्वारा अपना विस्तृत जवाब पेश कर प्रार्थी/उर्वरक निरीक्षक को अवगत करा दिया गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार कोई जप्तशुदा माल का बीज विकय नहीं किया गया और जप्तशुदा माल कंपनी द्वारा जो जर्ये बिल बीएस 1029700024 दिनांक 04.04.205 के माध्यम भेजा गया, जो कंपनी द्वारा अप्रार्थी सं 1 को बिना किसी मांग के भेजा गया जो कि अप्रार्थी से 2 द्वारा यह सोचकर भेजा गया कि उक्त बीज का बुवाई का समय व विक्रय की अवधि कम रहती। जिस कारण यह सोचकर कि समय पर किसान को बीज उपलब्ध कराई जा सके, इस कारण भेजा। किन्तु अप्रार्थी सं 2 के पास विक्रय की अनुमति नहीं होने के कारण उसने प्रार्थी/उर्वरक निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किए जाने से पूर्व ही कंपनी अप्रार्थी सं 2 को उनकी मांग पर पुनः माल वापिस भेजा गया। बीज वापिस दिनांक जर्ये केडिट नोट सीडी/1041800586 के माध्यम से दिनांक 11.04.2025 को 17 बैग वापिस लौटा दिए। शेष बैग शीघ्र ही लौटाये जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 14.04.2025 को प्रार्थी/उर्वरक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण कर जब्ती की कार्यवाही अमल में लाकर गलत रूप से विक्रय करना मानते हुए प्रार्थी सं1 के यहां से जर्ये बिल प्राप्त माल को जब्त कर लिया। जबकि अप्रार्थी सं 1 ने प्रार्थी/उर्वरक निरीक्षक को पूरी तरह अवगत करा दिया कि जप्त माल जो बिल से प्राप्त हुआ उसकी मात्रा व प्रतिष्ठान में रखे प्रतिष्ठान की मात्रा मिला लें। जो एक समान है। अप्रार्थी सं 1 द्वारा कोई बीज उक्त लॉट (किस्म) का विक्रय नहीं किया। जिस हेतु रजिस्टर की प्रति पेश की जा रही है। जिससे श्रीमान को पूरा विवरण दर्शित होगा। साथ ही यह दर्शित होगा कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्तशुदा लॉट के कोई बीज किसानों को विक्रय नहीं किया गया। किन्तु अप्रार्थी की कोई बात निरीक्षक उर्वरक द्वारा नहीं सुनी गई और बेजा रूप से जप्ती कार्यवाही कर कंपनी को लौटाए गये 17 बैग के अलावा शेष लौटाने बैग को जब्त करने की गलत कार्यवाही मौके पर की गई। अप्रार्थी सं 1 व 2 के द्वारा उक्त लॉट (किस्म) किसी भी किसान को विक्रय नहीं किया गया। यह जानते हुए भी निरीक्षण उर्वरक (प्रार्थी) द्वारा गलत कार्यवाही की गई। जबकि अप्रार्थी सं 1 व 2 के द्वारा किसी प्रकार के कोई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया। जैसा कि जप्तशुदा बीज का लॉट (किस्म) के बीज की निरीक्षक उर्वरक (प्रार्थी) द्वारा प्रयोगशाला में जांच कराने पर जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी बीज को मानक श्रेणी का पाया गया है। रिपोर्ट की प्रति सलंग्न है।

बीज जो भी निरीक्षक उर्वरक (प्रार्थी) द्वारा जब्त किया गया और वो अप्रार्थी सं 2 मैसर्स श्रीराम बायो सीड जेनेटिक्स प्रा० लि० के द्वारा उत्पादित है। जो कि सही मानकों का है। जैसा कि प्रयोगशाला रिपोर्ट से साबित है। उक्त बीज मय बिल अप्रार्थी सं 1 को अप्रार्थी सं 2 के द्वारा भेजा गया किन्तु अप्रार्थी सं 2 के पास राजस्थान राज्य में उक्त बीज की विक्रय अनुमति नहीं होने के कारण उनके द्वारा उक्त बीज को पुनः अप्रार्थी सं 1 से प्राप्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही थी और उसमें से कुछ बीज दिनांक 11.04.2025 को अप्रार्थी सं 1 द्वारा अप्रार्थी सं 2 को लौटा दिया गया। शेष बीज बीटी कपास लौटाने की प्रक्रिया के दौरान ही निरीक्षक उर्वरक (प्रार्थी) द्वारा अप्रार्थी सं 1 के यहां निरीक्षण कर जप्त करने की कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं 2 के पास जप्तशुदा बीज बीटी कपास के विकय की अनुमति हरियाणा राज्य के लिए है। जिस कारण उक्त बीज जो गलती से अप्रार्थी सं 1 को भेज दिया,

आ... जिला कलक्टर (प्रथम)
21/8/25

उसे पुनः मंगाकर हरियाणा राज्य में बेचे जाने हेतु प्रक्रिया अमल में लाई जा रही थी। उसी दौरान निरीक्षक उर्वरक (प्रार्थी) द्वारा गलत रूप से जप्ती की कार्यवाही की गई और उक्त बीज बीटी कपास को जप्त कर लिया गया। उक्त जप्तशुदा बीज बीटी कपास प्राप्त करने का एकमात्र अधिकारी अप्रार्थी सं 2 है। क्यों कि उक्त बीज अप्रार्थी सं 2 द्वारा उत्पादित है और विधि अनुसार उक्त बीज जो कि जप्तशुदा है से संबंधित सभी दस्तावेजों की उपलब्धता रखता है। चूंकि उक्त बीज की वैधता अवधि 9 माह है और उक्त जब्तशुदा बीज का कोई विक्रय अप्रार्थी सं 1 व 2 द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त बीज को राजसात ना करके अप्रार्थी सं 2 को लौटाने के आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। जिससे उक्त बीज का उपयोग किसानों के खेतों के लिए किया जा सके। जो कि प्रयोगशाला से मानक स्तर का बीज है। उक्त बीज को राजसात किया जाता है तो उक्त बीज समयावधि समाप्त हो जावेगी और इससे अप्रार्थी सं 2 को आर्थिक नुकसान होगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि निरीक्षक उर्वरक (प्रार्थी) द्वारा दिनांक 14.04.2025 को बीटी कपास का जो बीज अप्रार्थी सं 1 के यहां से जब्त किया है। जो कुल 38 बैग है, उन सभी को प्रार्थी सं 2 को देने की कृपा करें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान प्रार्थी (विभागीय प्रतिनिधि) द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि प्रार्थी (सरकार की ओर से बीज निरीक्षक) ने दिनांक 14.04.2025 को अप्रार्थी सं. 1 (श्री विजय कुमार, मैसर्स मेवात कृषि केंद्र) के गोदाम का निरीक्षण किया तथा बिना विक्रय अनुमति के 38 बैग बीटी कपास बीज (लॉटः KSWWR3208X – 27 बैग, KSWWR3209X – 9 बैग, KKDWR3004X – 2 बैग) पाए जाने पर जब्त कर लिए। प्रार्थी का तर्क है कि यह बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के क्लॉज 3 का उल्लंघन है, जिसमें बीज बिक्री के व्यवसाय के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। नमूने प्रयोगशाला भेजे गए तथा राजसात की मांग की गई।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण (विजय कुमार एवं मैसर्स श्रीराम बॉयोसीड जेनेटिक्स प्रा. लि.) ने तर्क दिया कि कोई विक्रय नहीं किया गया था; बीज कंपनी द्वारा गलती से राजस्थान भेजा गया था (बिल सं. ठै1029700024, दिनांक 04.04.2025), जबकि कंपनी की विक्रय अनुमति केवल हरियाणा राज्य के लिए है। 17 बैग दिनांक 11.04.2025 को क्रेडिट नोट (CD/1041800586) द्वारा वापस कर दिए गए थे तथा शेष वापस करने की प्रक्रिया चल रही थी। रजिस्टर से सिद्ध है कि कोई विक्रय नहीं हुआ। प्रयोगशाला रिपोर्ट से बीज मानक स्तर के पाए गए। राजसात से आर्थिक हानि होगी तथा बीज की वैधता (9 माह) समाप्त हो जाएगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं. 1 के पास राजस्थान में उक्त बीज विक्रय की कोई अनुमति नहीं थी, फिर भी बीज गोदाम में रखे गए थे, जो विक्रय हेतु होने का संकेत देता है। बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के क्लॉज 3 के अनुसार, बीज विक्रय के व्यवसाय हेतु वैध लाइसेंस अनिवार्य है, तथा क्लॉज 13(a)(c)(d) के अंतर्गत ऐसा उल्लंघन दंडनीय है। यदि उल्लंघन सिद्ध हो तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6A स्पष्ट रूप से उल्लंघन की स्थिति में जब्त वस्तु को राजसात करने का प्रावधान देती है। अप्रार्थीगण का तर्क कि कोई विक्रय नहीं हुआ तथा बीज वापस करने की प्रक्रिया चल रही थी, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होने से स्वीकार्य नहीं है। गोदाम में बीज की उपस्थिति ही उल्लंघन का पर्याप्त प्रमाण है, क्योंकि बिना अनुमति के भंडारण/विक्रय प्रतिबंधित है। अप्रार्थी सं. 2 की हरियाणा अनुमति राजस्थान में मान्य नहीं है, तथा गलती से भेजने का दावा उल्लंघन को क्षमा नहीं करता। प्रयोगशाला रिपोर्ट में बीज मानक होने से उल्लंघन समाप्त नहीं होता है। कानूनी अनुमति का अभाव मुख्य मुद्दा है। अप्रार्थी द्वारा किया गया आर्थिक हानि या वैधता समाप्ति का तर्क प्राथमिक उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अप्रार्थी द्वारा उल्लंघन सिद्ध होता है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6A सहपठित बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अनुसार स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6A स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6A स्वीकार किया जाता है, जब्त 38 बैग बीटी कपास बीज (उपरोक्त विवरण अनुसार) को राजसात किया जाता है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति बीज निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा), अलवर कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 38 बैग बीटी कपास बीज (उपरोक्त विवरण अनुसार) को नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)